

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक मुसप्र/2017/1139

दिनांक 10/3/17

आदेश

अरावली विहार योजना भिवाडी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 22, अल्प आय वर्ग के 07 व मध्यम आय वर्ग 'अ' के 28, बाबा मोहन राम एन्क्लेव में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 36 तथा सैक्टर 4 व 07 योजना में माध्यम आय वर्ग 'अ' के 02 (G+3) फ्लेट्स कुल 95 फ्लेटों का निस्तारण उप आवासन आयुक्त वृत्त अलवर/अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीया की अनुशंसा पर नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं निस्तारित किए जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	फ्लेट्स की संख्या
अरावली विहार योजना			
1	E.W.S.(G.F.)	10/100, 10/369, 10/497, 10/787	05
2	E.W.S.(F.F.)	10/21, 10/119, 10/326, 10/600, 10/661	05
3	E.W.S.(S.F.)	10/138, 10/620, 10/666, 10/794	04
4	E.W.S.(T.F.)	10/238, 10/334, 10/605, 10/669, 10/672, 10/701, 10/784, 10/797	08
5	LIG(G.F.)	9/162, 9/291	02
6	LIG(F.F.)	9/261	01
7	LIG(S.F.)	9/186	01
8	LIG(T.F.)	9/63, 9/77, 9/160	03
9	MIG-A(G.F.)	8/132, 8/145, 8/225	03
10	MIG-A(F.F.)	8/05, 8/149, 8/231	03
11	MIG-A(S.F.)	8/11, 8/138, 8/139, 8/140, 8/172, 8/188, 8/202, 8/204, 8/284, 8/298, 8/313	11
12	MIG-A(T.F.)	8/13, 8/176, 8/8/237, 8/239, 8/240, 8/256, 8/272, 8/288, 8/317, 8/318, 8/319	11
बाबा मोहन राम एन्क्लेव योजना			
13	MIG-A(G.F.)	B-02, B-04, B-19, B-20, B-34, B-50, B-51, B-67	08
14	MIG-A(F.F.)	B-07, B-21, B-24, B-37, B-38, B-39, B-40, B-69, B-71, B-72, B-83, B-84	12
15	MIG-A(S.F.)	B-10, B-26, B-43, B-58, B-59, B-74, B-86	07
16	MIG-A(T.F.)	B-13, B-29, B-30, B-31, B-32, B-47, B-78, B-87, B-88	09
सैक्टर 4 व 7 योजना			
17	MIG-A(G.F.)	7J/GF/04	01
18	MIG-A(S.F.)	4D/SF/18	01
कुल योग			95

उक्त फ्लेटों का निस्तारण निम्नांकित शर्तों पर किया जाना है:-

1. फ्लेट्स आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेट्स के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेट्स का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेट्स का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेट्स में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त माहोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी रा0आ0म0 भिवाड़ी।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

अनुसूचित जाति